

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर - 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल - aao1.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ2 (ग)(कैडर रिव्यू) अलेसे । / 97

दिनांक :- 01/7/25

आदेश संख्या : 31/2025-26

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ1(11)एफडी/रेवेन्यू/96 पार्ट-II जयपुर दिनांक 28/04/2016 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 13/08/2013 में दिये गये निर्देशों तथा अधीक्षण अभियन्ता एवं प्रावै. सहा मुख्य अभियन्ता जल संसाधन विभाग के पत्र क्रमांक प.38/अन्य वि.सं./स्था.4/ मुअजसं/2025/654-657 दिनांक 09/06/2025 के क्रम में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा की एक्स कैडर स्ट्रेन्थ में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम की सूची में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क्र.स.	कार्यालय का नाम	संशोधन पूर्व पद			संशोधन पश्चात् पद		
		स.ले.अ.-I	स.ले.अ.-II	क.लेखाकार	स.ले.अ.-I	स.ले.अ.-II	क.लेखाकार
1	अति. मुख्य महाप्रबंधक सब पीएमयू ईआरसीपी, कोटा (8001382)	0	1	0	1	1	0
2	उप महाप्रबंधक, एसपीआईयू-I ईआरसीपी, कोटा (8001385)	0	1	0	0	0	0
3	उप महाप्रबंधक, एसपीआईयू-II ईआरसीपी, कोटा (8001386)	0	1	0	0	0	0
4	कॉर्पोरेट कार्यालय एवं पीएमयू ईआरसीपी जयपुर (8001381)	0	1	0	2	2	0
5	उप महाप्रबंधक, एसपीआईयू ईआरसीपी टोंक (8001387)	0	1	0	0	0	0
6	उप महाप्रबंधक, एसपीआईयू-I ईआरसीपी बारां (8001383)	0	1	0	0	0	0
7	उप महाप्रबंधक, एसपीआईयू-II ईआरसीपी बारां (8001384)	0	1	0	0	0	0
8	उप महाप्रबंधक, एसपीआईयू ईआरसीपी बूंदी (8001388)	0	1	0	0	0	0
9	अति. मुख्य महाप्रबंधक सब पीएमयू ईआरसीपी सवाई माधोपुर (8002133)	0	0	0	1	1	0
	योग	0	8	0	4	4	0

उक्त पद सृजन/समाप्ति के उपरान्त राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा की नवीनतम कैडर स्ट्रेन्थ निम्नानुसार है:-

विवरण	स.ले.अ.-I	स.ले.अ.-II	क.लेखाकार	योग
वर्तमान कैडर स्ट्रेन्थ	2606	3875	5854	12335
नवीन कैडर स्ट्रेन्थ	2610	3871	5854	12335

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त
शासन सचिव

दिनांक :- 1/7/25

क्रमांक :- एफ2 (ग)(कैडर रिव्यू) अलेसे I / 97

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. संबंधित विभागाध्यक्ष

.....

3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।

4. निजी सचिव, निदेशक ।

5. पदस्थापन सहायक अलेसे I / II / III को विभागीय अभिलेखों में आवश्यक संशोधन किये जाने हेतु

(के.जी.गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक I)